2.1

[illegible] / वन भूमि का औचित्य

<u>परियोजना का नाम</u> :– *<u>जनपद अल्मोड़ा में घुघती–कैलानी से मसमौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 1.044है0 (6.500किमी.)</u>*

उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0 245/III–2/06–07(प्रा0आ0)/10 दिनांक 28.10.05 द्वारा ₹139.00 लाख मात्र के लिए 6.500 किमी0 लम्बाई हेतु प्राप्त हुई है।

उक्त मोटर मार्ग देघाट–घटगाड़ मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से प्रारम्भ होकर ग्राम घुघती–कैलानी तक जायेगी। इस मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य सिविल भूमि 0.707है0, वन पंचायत 0.837है कुल 1.044है0 वन भूमि प्रभावित होती है तथा 5.850है0 नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से सभी ग्रामवासी लाभान्वित होंगे, तथा गांव में फल–सब्जी व दुग्ध उत्पादन को मुख्य मार्ग से होकर मण्डी तक ले जाने में सुविधा होगी। इसी प्रकार शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ भी ग्रामवासी उठा पायेंगें तथा पयर्टन का बढावा मिलेगा व पलायन की कमी होगी।

अतः 6.500 किमी0 लम्बाई में 1.044 है0 का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित किया गया। मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत